मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन – 462004

क्रमांक/बी–5/2/आकाशवाणी/2017–18/805 भोपाल दिनांक 03 जनवरी 2018

प्रति,

श्री मनोज सक्सेना,
प्रोपराईटर,
मेंसर्स स्वाति पब्लिसिटी,
सी–18, नारायण नगर,
होशंगाबाद रोड,
भोपाल (म0प्र0)

विषयः–आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु न्यूनतम दरों की स्वीकृति।
संदर्भः–आपकी निविदा दिनांक 27 नवम्बर 2017।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रदेश की मण्डी समितियों के दैनिक आवक–भाव तथा औसत भाव की जानकारी का प्रसारण (365 दिन) प्रतिदिन आकाशवाणी के 14 जिला केन्द्रों से किये जाने हेतु रेडियो कार्यक्रम के निर्माण हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरें निम्नानुसार शर्तों पर स्वीकृत की जाती हैं :–

कार्य	अवधि	न्यूनतम दर
रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रतिदिन 04 कार्यक्रमों का निर्माण	05 (पांच) मिनिट तक	प्रति कार्यक्रम रुपये 800/– मात्र आठ सो मात्र। 18% जीएसटी अतिरिक्त

01. आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का शीर्षक "धरती उगले सोना" होगा।

02 प्रतिदिन (365 दिन) चार कार्यक्रमों का निर्माण प्रति पांच मिनट अवधि का करना होगा।

03. मण्डी बोर्ड के द्वारा कार्यक्रम की विषयवस्तु अर्थात मण्डी के दैनिक आवक–भाव तथा औसत भाव की जानकारी आपकी संस्था को अधिकतम दोपहर 12.00 बजे तक प्रतिदिन उपलब्ध कराई जावेगी।

04. यदि किसी कारणवश मण्डी बोर्ड कार्यालय विषयवस्तु अर्थात मण्डी के दैनिक आवक–भाव तथा औसत भाव की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका तो आपकी संस्था को विषय सामग्री से जुड़ा हुआ कार्यक्रम निर्माण कर मण्डी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों को ई–मेल द्वारा भेजना अनिवार्य है ताकि कार्यक्रम प्रसारण की निरंतरता बनी रहे।

05. किन्हीं तकनीकी खराबीयों के कारण आकाशवाणी केन्द्र कार्यक्रम लेने में सक्षम नहीं हुये तो ऐसी परिस्थिती के निवारण एवं कार्यक्रम प्रसारण की निरंतरता बनाये रखने के लिये आपकी

संस्था के द्वारा एक या एक से अधिक कार्यक्रम निर्माण कर मण्डी बोर्ड के अनुमोदन उपरांत आकाशवाणी केन्द्रों पर अग्रिम सुरक्षित रखना होगें।

06. अवकाश के दिन भी कार्यक्रम निर्बाध रुप से प्रसारित हो ऐसी व्यवस्था आपकी संस्था को अपने विवेक से करना होगी। किन्तु विषय वस्तु मण्डी बोर्ड द्वारा उचित समय पर आवश्यक रुप से करा दी जावेगी।

07. मण्डी बोर्ड के द्वारा कार्यक्रम निर्माण के लिये आपकी संस्था को किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

08. आपकी संस्था के द्वारा विनिर्मित कार्यक्रम आकाशवाणी/प्रसार भारती के प्रसारण बिल के साथ स्वयं की संस्था का उक्त प्रसारित दिनों का बिल/देयक प्रस्तुत करना होगा ताकि मण्डी बोर्ड के द्वारा दोनों प्रकार के भुगतान में अवधिगत साम्य बना रहे और विसंगति न हो।

09. मण्डी बोर्ड के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यक्रम निर्माण के एवज में आपकी संस्था को तिमाही आधार पर भुगतान किया जावेगा।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/आकाशवाणी/2017–18/806 भोपाल दिनांक 03 जनवरी 2018
प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. अपर संचालक (जनसम्पर्क), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल